रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232218 CG-DL-E-30122021-232218

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673] No. 673] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

- फा. सं. पीएसबी/स्टाफ/ओएसआर/2021.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 और 12 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में संशोधन हेतु एत्तद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात: -
- 1. (1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक विनियम (संशोधन) सेवा (अधिकारी), 2021 कहा जाएगा।
- (2) इन विनियमों में जहां कहीं भी वर्णन दिया गया है उसकों छोडकर ये विनिमय 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी माना जाएंगे।
- 2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 (इसके बाद में उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 3 में, खंड (छ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- '(छ) "परिवार" का अर्थ अधिकारी की पत्नी/पित, पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें आश्रित सौतेला तथा कानूनन गोद लिए गए बच्चे शामिल है), चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग भाई या बहन, विधवा बेटियां और आश्रित तलाकशुदा या पृथक बेटियां, अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त या पित से अलग या विधवा बहनों सहित बहनें और माता-पिता जो पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर हैं और विवाहित महिला अधिकारी के मामले में उसके प्राकृतिक माता-पिता या सास-ससुर शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं।

7527 GI/2021 (1)

स्पष्टीकरण - "पूर्णतः आश्रित" का अर्थ परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी आय प्रतिमाह ₹10000 से अधिक नहीं है और जहां परिवार के पूर्ण आश्रित सदस्य माता-पिता हैं, किसी भी माता-पिता की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय यदि प्रतिमाह ₹10000 से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

- 3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थातु: -
 - (6) 1 नवंबर, 2012 से प्रत्येक श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा:

(a) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹76520 - 2120/4 - 85000 वेतनमान VI = ₹68680 - 1960/4 - 76520

(b) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹59170 - 1650/2 – 62470 - 1800/2 - 66070 वेतनमान IV = ₹50030 - 1460/4 – 55870 - 1650/2 - 59170

(c) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹42020 - 1310/5 – 48570 - 1460/2 - 51490 वेतनमान II = ₹31705 - 1145/1 – 32850 - 1310/10 - 45950

(d) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹23700 - 980/7 - 30560 - 1145/2 - 32850 - 1310/7 - 42020.

स्पष्टीकरण - 31.10.2012 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियमन 01.11.2012 को इस उपविनयम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, या पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियां सामान्यतया अधिवार्षिता तारीख को देय होंगी।

- (7) उप विनियम (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।
- (8) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता दिया जाएगा:

वेतनमान I-III = मूल वेतन का %7.75और उस पर लागू महंगाई भत्ता वेतनमान IV-V = मूल वेतन का 10% और उस पर लागू महंगाई भत्ता वेतनमान VI-VII = मूल वेतन का 11% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

बशर्ते कि इस उप विनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

नोट: उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता, उस पर लागू महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं माना जाएगा, जैसे नई पेंशन योजना सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, -

- (i) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्: -
- "(1) विनियम 4 के उप-विनियम (6) के उपबंधों के अधीन, 1 नवंबर, 2012 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धि निम्नानुसार स्वीकृत की जाएंगी, अर्थात्: -
 - (क) विनियमन 4 के उप-विनियम (6) उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं, उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी।

- (ख) वेतनमान I और वेतनमान II में अधिकारियों के संबंधित वेतनमान में अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, केवल अगले उच्च वेतनमान में स्थिरता वेतनवृद्धि सहित आगे वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी, जैसा कि नीचे खंड (सी) में निर्दिष्ट है. बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर रहे हों:
- (ग) किनष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्च वेतनमान की अधिकतम तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II में पहुँच गए हैं, प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए चार स्थिरता वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो प्रत्येक ₹1310 और अगले दो प्रत्येक ₹1460 होंगी।
- (घ) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में अधिकारी, जो उच्च वेतनमान की अधिकतम तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में पहुँच गए हैं, प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए प्रत्येक ₹1460 तीन स्थिरता वेतनवृद्धि तथा तीसरी स्थिरता वेतनवृद्धि के दो वर्ष बाद ₹1460 की चौथी स्थिरता वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि जिन अधिकारियों ने तीसरी स्थिरता वेतनवृद्धि के बाद दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी कर ली है, उन्हें 01 मई, 2015 से चौथी स्थिरता वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी;

- (ङ) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अधिकारी (जो मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में सीधे भर्ती या पदोन्नत हुए हैं) प्रत्येक तीन वर्षों की सेवा के लिए ₹1460 की तीन स्थिरता वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे और 01 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार तीसरी स्थिरता वेतनवृद्धि जारी करने के दो वर्ष या उससे अधिक पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए ₹1460 की चौथी स्थिरता वेतनवृद्धि तथा चौथी स्थिरता वेतनवृद्धि के दो साल बाद ₹1460 की पांचवीं स्थिरता वेतनवृद्धि दी जाएंगी बशर्ते कि जिन अधिकारियों ने चौथी स्थिरता वेतनवृद्धि दी जाएंगी बशर्ते कि जिन अधिकारियों ने चौथी स्थिरता वेतनवृद्धि दी जाएंगी।
- (च) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-IV के अधिकारी 01 मई, 2015 से अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के तीन साल बाद एक ₹1650 की स्थिरता वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि ऐसी वेतनवृद्धि की अनुमित किसी ऐसे अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो प्रस्तावित पदोन्नित से इंकार कर देता है। स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में की गई वेतनवृद्धियों को पदोन्नित नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धिया, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगी।"

- (ii) उप विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (च) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -
 - (छ) 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद से, अन्य मदों के समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट के अनुसार संशोधित होगी:

तालिका

(1)	(2)
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भाग-I पास किया हो	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग पास किए हों	(i) अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक साल बाद प्रति माह ₹670/-
	(ii) अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक साल बाद प्रति माह ₹1680/-

बशर्ते कि यदि किसी अधिकारी के अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के बाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (या तो एक या दोनों भागों) की योग्यता प्राप्त कर ली है तो इस तरह की योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किश्त प्रदान किया

जाएगा और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किश्तों का निस्तारण व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी होने की तारीख के संदर्भ में होगी।";

- (iii) उप-विनियम (3) में, खंड (ङ) के तहत तालिका के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -
- (च) 1 नवंबर, 2012 को तथा से, अन्य मदों के समान होने पर, आवास किराया भत्ता के साथसाथ निश्चित -वैयक्तिक वेतन निम्न दरों पर होंगे और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए स्थिर रहेगा:

-				
ता	П	3	क	T

वेतन वृद्धि घटक (₹)	वेतन वृद्धि घटकों पर 01.11.2012 को महंगाई भत्ता (₹)	कुल निश्चित वैयक्तिगत वेतन देय जहां बैंक आवास प्रदान किया जाता है (₹)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

नोट:

- (i) उप-विनियम के खंड (ख), (ग), (घ), (ड़) और (च) में तालिका के कॉलम (3) के अंतर्गत नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन, खंड (च) के तहत तालिका के कॉलम (1) और (2) के तहत निर्दिष्ट कुल राशि और संबंधित अधिकारी द्वारा लिए गए मकान किराया भत्ता की अंतिम वेतन वृद्धि होने पर होगी। विनियम 4 के उप-विनियम के (2), (3), (4), (5) और (6) में निर्दिष्ट अनुसार प्रासंगिक वेतनमान अर्जित किया जाता है।
- (iii) केवल वही अधिकारी जो 01 नवंबर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में थे, उन्हें दिए गए वेतन के अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक वर्ष बाद नियत वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।
- (iv) 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद, नियत वैयक्तिक वेतन देने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार नियत वैयक्तिक वेतन जारी करने की समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा:

बशर्ते कि जहाँ व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किश्त, जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दी गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी करने के लिए निर्धारित है, वह उस तारीख को और दी जाएगी तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन दूसरी किश्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।

- (v) नियत वैयक्तिक भत्ते या नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गिना जाएगा।
- (v) जिस अधिकारी को उपयुक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर खंड (ख), (ग), (घ), (इ) या (च) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते या नियत वैयक्तिगत वेतन की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्राप्त होगी।
- 5. विनियम 21 के उक्त विनियमों में, उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
- (6) 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद से, अखिल भारतीय औसत कामगर वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 का वेतन का 0.10% के तिमाही औसत में 4440 अंक से अधिक चार अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए महंगाई भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, -

- (क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ होगा मूल वेतन, जिसमें स्थिरता वेतनवृद्धि और विशेष भत्ता शामिल है:
- (ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खंड (ग), (घ), (इ), (च) तथा (छ) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा।
- 6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में,-
- (i) उप-विनियम (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- (1) 1 नवंबर, 2012 के पहले दिन से तथा उसके बाद"
- (क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो, उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 0.75 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।
- (ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं किया जाती है तो, वह निम्नलिखित तालिका के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात्

तालिका

कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख 'ए' वर्ग के नगरों तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 9.0%
(ii) क्षेत्र I के स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में तथा गोवा राज्य	वेतन का 8.0%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 7.0% :

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 0.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया उपर स्तंभ (2) में उल्लिखित पूर्वोक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ता का अधिकतम 150% देय होगा।

नोट:- उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ता के लिए अधिकारियों के दावे भी अब तक के मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

- 7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में.-
- (क) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- (1) 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवा कर रहा हो, तो उस स्थान के अनुसार उसके कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर शहर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा :-

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4% अधिकतम प्रति माह ₹870-/
(ii) पांच लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर	मूल वेतन का 3% अधिकतम प्रति माह ₹600-/

(2) 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार होंगी।

- (3) 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद, यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी किसी परियोजना क्षेत्र में सेवारत है तो वह समूह ए या समूह बी के अनुरूप क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रति माह ₹400 या ₹350 प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भक्ते के लिए पात्र होगा।
- (4) 1 जून 2015 को तथा उसके बाद, यदि किसी अधिकारी का शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है और यदि उसके एक या अधिक बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो पहले स्थान पर वह सभी बच्चों के संबंध में शैक्षणिक वर्ष के अंत तक प्रति माह ₹1100 का मध्य शैक्षणिक स्थानांतरण भत्ते का पात्र होगा, बशर्ते कि यदि सभी बच्चे अध्ययन करना बंद कर देते हैं ऐसा भत्ता समाप्त हो जाएगा।
- (5) 1 जून 2015 को तथा उसेक बाद, यदि किसी अधिकारी को बैंक से अन्य स्थान पर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलब्धियों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर वह प्रतिनियुक्त है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति प्राप्त कर सकता है वेतन के 7.75% की दर से भत्ता, जो अधिकतम ₹4000 प्रतिमाह के अधीन है और ऐसे अन्य भत्ते जो वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर प्राप्त करते

परंतु जहां वह किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था, उसे प्रति माह अधिकतम ₹2000 के अधीन अपने वेतन के 4% के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा:

परंतु यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में एक संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी अपने वेतन के 4% की दर से अधिकतम ₹2000 प्रतिमाह के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता के लिए पात्र होगा।

- (ख) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- (8) 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद से, यदि एक दिन के काम के घंटों को दो घंटे के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित किया जाता है, तो एक अधिकारी ₹200 प्रतिमाह की दर से सेवा विखंडन भक्ता के लिए पात्र होगा।
- (ग) उप-विनियम (10) में,-
- (क) 1 नवंबर 2007 का पहला दिन अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 1 नवंबर, 2012 का पहला दिन" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम प्रतिमाह ₹750/-
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम प्रतिमाह ₹1000/-
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम प्रतिमाह ₹2000/-

- 8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में,-
- (i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- "(1)" 1 नवंबर 2012 के पहले दिन से, निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित श्रेणी में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी अपने और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट राशि का पात्र होगा। यह प्रतिपूर्ति अधिकारी द्वारा दिए गए स्वयं के प्रमाण-पत्र उल्लेखित व्यय विवरण के अनुरूप दी जाएगी, अर्थातु: -

तालिका

ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा	
(1)	(2)	
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन ग्रेड	₹ 8000 प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि जो भी कम हो	
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यकारी ग्रेड	₹ 9050 प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि जो भी कम हो	

- नोट: (i) अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमित दी जा सकती है, जो किसी भी समय दी जाने वाली उपर्युक्त अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो; या
- (ii) वर्ष 2012 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो महीने, अर्थात् नवंबर 2012 और दिसंबर, 2012 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।
- (1क) एक अधिकारी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र होगा।
- 9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- (2) उप-विनियम (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है, जिसके लिए अधिकारी 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से, अपने वेतन के प्रथम प्रक्रम के 0.75 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराए का, इनमें से जो भी कम हो, भुगतान करेगा:

परंतु जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहां बैंक द्वारा अधिकारी के उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम में 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी:

परंतु यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसे आवासीय आवास उपलब्ध कराएं जाते हैं, वहां बिजली, पानी, गैस और संरक्षण का प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

- 10. उक्त विनियमों के विनियम 33 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- (4) 1 जून, 2015 को या उसके बाद, साधिकार छुट्टी दो सौ सत्तर दिनों से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है:-

बशर्ते कि साधिकार छुट्टी का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस दिनों तक सीमित होगा:

परन्तु साधिकार छुट्टी लेने के इच्छुक अधिकारी को सामान्यतया ऐसा छुट्टी लेने के लिए कम से कम पंद्रह दिन से पूर्व सूचना देनी होगी।

- 11. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- (4) 1 जून, 2015 को और इससे, गुर्दा या अंगदान के लिए अधिकारी को उसकी पूरी सेवा की अवधि के दौरान एक बार तीस दिनों तक की विशेष रूगणावकाश दिया जा सकता है।
- 12. उप-विनियम (2) और (3) के लिए उक्त विनियमों के विनियम 36 में, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- (2) 25 मई 2015 से, सेवा के दौरान निःसंतान महिला अधिकारी को कानूनी रूप से एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिकतम छ: महीने की अवधि के लिए छुट्टी भी दिया जा सकता है और शर्तें:-
 - (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दिया जाएगा;
 - (ii) बच्चे को गोद लेना उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और अधिकारी को ऐसे छुट्टी स्वीकृति के लिए बैंक को दत्तक-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

- (iii) छुट्टी जैविक मां को भी उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो; तथा
- (iv) छुट्टी सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर ली जाएगी।
- (3) 25 मई, 2015 से, बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, गर्भाशय-उच्छेदन के मामले में अधिकतम साठ दिनों तक का छुट्टी भी दिया जा सकता है।
- (4) मातृत्व छुट्टी, जो मूल वेतन पर होगा, महिला अधिकारी को उसकी सेवा की पूरी अवधि के दौरान किसी एक अवसर पर छ: महीने और बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा:

बशर्ते कि बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, गर्भपात या गर्भस्त्राव या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के मामले में भी छुट्टी दी जा सकती है।

- (5) 1 जून 2015 से, पुरुष अधिकारी जिनके दो जीवित बच्चे हैं, वे अपनी पत्नी के प्रसूति के दौरान पंद्रह दिनों के पितृत्व छुट्टी के लिए पात्र होंगे, जिसे आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।
- बशर्ते कि छुट्टी बच्चे के जन्म की तारीख से पन्द्रह दिन पहले या छ: महीने तक लागू रहेगी।
- 13. उक्त विनियमों के विनियम 38 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- (38) छुट्टी की समाप्ति नीचे दिए गए प्रावधान के अलावा, अधिकारी के खाते में सभी छुट्टी त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, रिहाई, बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी:

परंतु जहां कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है, वह किसी भी अवधि की परिलब्धियों के बराबर राशि का प्राप्त करने का पात्र होगा, जो दो सौ चालीस दिनों के साधिकार छुट्टी से अधिक नहीं हो, जो उसने जमा किया था:

परंतु जहां अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जो सजा के रूप में है, वह किसी भी अवधि के परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान करने का पात्र होगा, जो दो सौ चालीस दिनों के विशेषाधिकार छुट्टी से अधिक नहीं होगा जो उसने जमा किया है:

परंतु यह भी कि किसी अधिकारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहां उसके विधिक प्रतिनिधियों को उसकी मृत्यु की तारीख को उसके खाते में दो सौ चालीस दिन के साधिकार छुट्टी से अनधिक की परिलब्धियों के बराबर राशि देय होगी:

परंतु यह भी कि जहाँ कोई अधिकारी विनियम 20 के उप विनियम (2) के तहत उपयुक्त नोटिस देने के बाद 1 अप्रैल 2001 को अथवा उसके बाद त्यागपत्र देकर अपनी सेवा छोड़ देता है अथवा समाप्त कर देता है, तो उसे सेवा समाप्ति की तारीख को उसके खाते में जमा साधिकार छुट्टी के आधे तक, जो कि अधिकतम 120 दिन होंगी, की परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान किया जाए।

- 14. उक्त विनियमों के विनियम 41 में -
 - (i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -
- "(1) 1 नवंबर 2012 और उसके बाद से, जहां कहीं भी किसी अधिकारी को ड्यूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:-
- (क) किनष्ठ प्रबंधन ग्रेड में अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने का पात्र है: परंतु कारोबार की आवश्यकताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमित से वह विमान द्वारा (इकॉनोमी श्रेणी में) यात्रा कर सकता है;
- (ख) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी ट्रेन की प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर शयनयान से यात्रा करने का पात्र है: परंतु वह विमान (इकॉनोमी श्रेणी में) द्वारा यात्रा कर सकता है यदि यात्रा की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है; परंतु कारोबार की आवश्यकताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह इससे कम दूरी की यात्रा भी विमान द्वारा (इकॉनोमी श्रेणी में) कर सकता है;
 - (ग) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में या विमान द्वारा (इकॉनोमी श्रेणी में) यात्रा करने का पात्र है;

(घ) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी, ऐसे स्थानों के बीच जो विमान सेवा या रेल सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं, कार द्वारा यात्रा कर सकता है बशर्ते यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो।

परंतु उक्त दोनों स्थानों की बीच की अधिकांश दूरी विमान या रेल द्वारा तय तय की जा सकती है तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जानी चाहिए;

- (ङ) कार्य की अत्यावश्यकता होने पर किसी अन्य अधिकारी को उसके निजी वाहन अथवा टैक्सी अथवा बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत कर सकता है;
- (च) किसी भी श्रेणी या वेतनमान का अधिकारी सड़क या विमान या रेल से नहीं जुड़े हुए स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने का पात्र होगा";
 - (ii) उप-विनियम (4) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:
- '(क) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित श्रेणी या वेतनमान में कोई अधिकारी उसके कॉलम (2) में तदनुरूपी दरों पर प्रतिदिन विराम भत्ता का पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

अधिकारियों का श्रेणीवेतनमान /	मेट्रो	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर	एरिया-l	अन्य स्थान
(1)			(2)	
वेतनमान VI एवं उससे ऊपर के अधिकारी	1800	1300	1100	950
वेतनमान IV एवं V के अधिकारी	1500	1300	1100	950
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	1300	1100	950	800

परंतु यह भी कि यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम, किंतु चार घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण- विराम-भत्ता की संगणना के लिए, "प्रतिदिन" का अभिप्राय है चौबीस घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय से की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो प्रतिदिन का अभिप्राय होगा, ऐसी अवधि जो आठ घंटे से कम नहीं है।

- 15. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(3) जून 2015 को और उसके बाद से, स्थानांतरण पर जाने वाला कोई अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, यात्री सामान का बीमा आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने का पात्र होगा, अर्थातु:-

तालिका

श्रेणी या वेतनमान	राशि
(1)	(2)
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान IV तथा इससे ऊपर के अधिकारी)	₹ 20000
मध्य प्रबंधन तथा कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान III तक के अधिकारी)	₹ 15000

- 16. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (1), (2), (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थातु:-
- (1) चार साल के प्रत्येक ब्लॉक में कोई अधिकारी अपने गृह निवास स्थान तक की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा सुविधा का लाभ प्रति द्विवार्षिक ब्लॉक में एक बार प्राप्त करने का पात्र होगा।

परंतु वह एक द्विवार्षिक ब्लॉक में अपने गृह निवास स्थान और दूसरे द्विवार्षिक ब्लॉक में भारत के किसी एक स्थान तक की यात्रा निकटतम मार्ग से कर सकता है :

परंतु यह भी कि 1 जून, 2015 से वैकल्पिक रूप से एक अधिकारी, किसी भी समय अपने चार साल के ब्लॉक या दो साल के ब्लॉक, जैसा भी मामला हो, के दौरान उसके बदले छुट्टी यात्रा रियायत का नकदीकरण (अपने अधिवास स्थान की यात्रा के अलावा) प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। नकदीकरण की पात्रता जेएमजी वेतनमान - I, एमएमजी वेतनमान II व III में अधिकारियों के लिए 4500 किलोमीटर (एक तरफ) तथा एसएमजी वेतनमान IV व उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 5500 किलोमीटर (एक तरफ) की दूरी के लिए उसकी रेलगाड़ी की पात्रता के समतुल्य होगा:

परंतु यह भी कि 1 जून 2015 से अपनी एलटीसी के नकदीकरण का विकल्प चुनने वाले अधिकारी को, ऐसे नकदीकरण के ब्लॉक/ मीयाद के दौरान केवल एक ही बार अपने/ अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहिए। एलएफसी के साथ मिलने वाली साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा, एलटीसी के नकदीकरण सुविधा के साथ भी उपलब्ध रहेगी।

(3ए) छुट्टी यात्रा सुविधा के अधीन कोई अधिकारी उसी साधन व श्रेणी द्वारा यात्रा कर सकेगा जिसमें सामान्यतः वह स्थानांतरण होने पर यात्रा करने का पात्र है और छुट्टी यात्रा सुविधा के अन्य निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

परंतु 1 मई, 2010 से किनष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाला कोई अधिकारी, न्यूनतम किराया इकोनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा, उस स्थिति में वास्तविक किराया या यात्रा की दूरी के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया, जो भी कम है, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और समान नियम मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II व III के अधिकारी के लिए भी लागू होंगे, जो छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा रहा है, जहाँ यात्रा की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है।

17. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची

[उप विनियम-23(2) देखें]

1 नवंबर, 2012 से, अधिकारी विशेष क्षेत्रीय भत्ता जो उसे वापस लेने तक या पूर्ण या पाक्षिक रूप से संशोधन करने के समय तक, के लिए पात्र होगा जो तालिका में निम्नवत दर्शाया गया है, अर्थात्: -

तालिका

क्र.सं .	क्षेत्र	भत्ता (₹)	
		वेतनमान ₹ 24,000/- से कम	वेतनमान ₹ -/24,000से अधिक
1	2	3	4
1.	मिजोरम (क) मिजोरम के चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलाई जिले के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर से बाद के क्षेत्र	2000	2600
	(ख) मिजोरम के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लुंगलाई जिला	1600	2100
	(ग) मिजोरम का संपूर्ण आइजोल जिला	1200	1500

2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (क) उत्तरी एवं मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नारकोंडम द्वीप समूह	2000	2600
	(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (क) त्रिपुरा के दुष्कर क्षेत्र	1600	2100
	(ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	1200	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के दुष्कर क्षेत्र	2000	2600
	(ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में	1600	2100
11.	जम्मू और कश्मीर (क) कठुआ जिलाः नियाबत बानी, लोही, मलहार और मछोड़ी	2000	2600
	(ख) उधमपुर जिला: (i) दूडु बसंतगढ़, लांडर भामाग इलाका, इनके अलावा जो भाग 2 (ख) में सम्मिलित थे।	2000	2600
	(ii) मोहरे तहसील के कंबन पक्ष से गोयल तक के क्षेत्र तथा कियासी पक्ष से अनार्स तक के क्षेत्र।	1600	2100
	(ग) डोडा जिला: किश्तवाड़ तहसील में नियाबत नोगाम तथा पद्देर के इलाके	2000	2600
	(घ) लेह जिला: जिले के सभी स्थान	2000	2600
	(ड.) बारामूला जिलाः (i) संपूर्ण गुरेज-निरबत, तंगदार उप-मंडल तथा केरन इलाका	2000	2600
	(ii) मछिल	1600	2100
	(च) पूछ और रजौरी जिला: पूछ तथा रजौरी शहर और सुंदरबनी एवं दोनों जिलों के क्षेत्रों को छोड़कर पूंछ तथा रजौरी जिले के क्षेत्र	1200	1500

	(छ) उपरोक्त (क) से (च) में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी में आने वाले ऐसे स्थान जहां सीमा भत्ते के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय-समय पर पात्र घोषित किया गया है।	1200	1500
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चंबा जिलाः (क) पंगी तहसील भरमौर तहसील, पंचायत: बड़गांव, बजोल, दओल	2000	2600
	कुगटी, नया गांम और टुंडा, गांव: जगत ग्राम पंचायत का घाटु, चौहाता ग्राम पंचायत का कनारसी		
	(ख) भरमौर तहसील, उपरोक्त मद (क) में शामिल गांव एवं पंचायतों को छोड़कर।	1600	2100
	(ग) भटियाट तहसील का झंड्ड पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बानिखेत सहित)	1200	1500
	(2) किन्नौर जिला:		
	(क) आश्रंग, चिटकुल और हांगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नथपा तथा रुपी के ग्राम पंचायत हैं, पूह उप-मंडल उक्त विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र को छोड़कर।	2000	2600
	(ख) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिले।	1600	2100
	(3) कुल्लू जिला:		
	(i) निर्मांद तहसील के क्षेत्र 20/15 जिसमें खर्गा, कुशवार तथा सर्गा ग्राम पंचायत शामिल हैं।	2000	2600
	(ii) आउटर-सेराज (निर्मांद तहसील के बरौ तथा जकत-खाना के गांवों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला (पंड्रबिस के परगना तथा आउटर सेराज क्षेत्र को छोड़कर किंतु निर्मांद तहसील बरौ एवं जकत-खाना के गांव को शामिल कर)	1200	1500
	(4) लाहौल और स्पिति जिला:	2000	2600
	लाहौल और स्पिति के संपूर्ण क्षेत्र	2000	2600
	(5) शिमला जिलाः		
	(क) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चडी-ब्रांदा की पंचायतें शामिल हैं।	2000	2600
	(ख) दोरा-कावर तहसील, रामपुर का दरकली ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा मुनिश, परगना सराहान की घोरी चाइबिस।	1600	2100
	(ग) चोपल तहसील और घोरिस, पंजगांव, पाटस्नौ, नौबिस तथा सरहन परगना तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र का द्योती ग्राम पंचायत बराबिस, रामपुर कस्बा तथा रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला शहर तथा उसके उपनगर (धाली, जटोग, कसुमपती, मशोब्रा, तारादेवी एवं टुटु)	1200	1500
	(6) कांगड़ा जिला: (क) बड़ा भंगल और छोटा भंगाली के क्षेत्र	1600	2100

	(ख) कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर तथा धर्मशाला शहर में शामिल किंतु नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय - मिहला आईटीआई, दारी, मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, बाल कल्याण तथा शहर एवं देश आयोजन कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, मंडल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच सब-डिविजन, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर। कांगड़ा जिले का पालमपुर टाउन, पालमपुर में एचपीकेवीवी कैंपस	1200	1500
	और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, किंतु पालमपुर टाउन में शामिल- एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो- जर्मन कृषि वर्कशॉप/एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला, विद्युत इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन, लोहना, डी.पी.ओ. निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिवीजन, घुग्गर।		
	(7) मंडी जिलाः		
	जोगिदंर नगर तहसील की छुहर घाटी, थुनाग के पंचायत बागड़ा, छत्री, छोटधार, गरगुशैन, गटू, गर्यास, जंजेली, जर्यार, जोहर, कलहनी, कल्वान, खोलनाल, लोथ, सिलिबागी, सोमचान, थछधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक की पंचायत- बिंगा, कामला, सकलाना, तन्यार तथा तारखोला, कर्सोग तहसील की पंचायतें- बलिधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहूदी, मंज, पेखी, सैंज, साराहन और तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायत- बोही, बटवारा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी और शोजा।	1200	1500
	(8) सिरमौर जिलाः		
	बानी, बखाली (पाछड़ तहसील), भड़ोग, भेनेड़ी (पौंटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बड़ (पाछड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरी की पंचायतें	1200	1500
	(9) सोलन जिलाः मंगल पंचायत।	1200	1500
	(10) हिमाचल प्रदेश का शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त मद (क) से (i) से में शामिल नहीं हैं।	320	400
13.	उत्तर प्रदेशः चमौली, पिथौरागढ़उत्तरकाशी जिले के क्षेत्र ,	2000	2600
14.	उत्तराखंडः		
	चमौली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले के क्षेत्र।	2000	2600

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियमों में दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों और लाभों से संबंधित हैं और अनिवार्य रूप से लाभकारी कानून हैं। इसलिए, इन विनियमों के उक्त प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से इस तरह के पूर्वव्यापी आवेदन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंवर लाल, उप महाप्रबंधक (वि.वि.सं.मा)

[विज्ञापन-III/4/असा./536/2021-22]

नोट: प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र, भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित किया गए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया था, अर्थातु: -

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	प्रकाशन तिथि	विनियम संख्या में संशोधन
1	सं/ओएसआर/स्टाफ/पीएसबी.1990	18.04.1990		2
2	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./1991	03.05.1991	08.05.1991	21, 22, 24, 33, 41
3	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./1992	19.05.1992	21.05.1992	23, 41, 44
4	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./1995	15.02.1995	21.02.1995	19
5	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./1996	08.10.1996	09.10.1996	4,5,21,22,23,24, 25,41,45,46
6	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./1997	13.01.1997	27.01.1997	19
7	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./1999	23.06.1999	24.07.1999	38
8	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./2000	28.06.2000	07.07.2000	19
9	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./2000	20.07.2000	12.08.2000	12,23,32,42
10	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./2002	28.10.2002	06.11.2002	4,5,21,22,23,24,25,35,
10	(1911) (1911) (1911) (1911) (1911)	20.10.2002	00.11.2002	36,41,42,46
11	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./2003	13.06.2003	28.06.2003	38
12	संओएसआर/स्टाफ/पीएसबी./2006	7.10.2006	20.10.2006	5
13	पीएसबीओएसआर/स्टाफ//2017	11.10.2017	21.12.2017	3,4,5,21,22,23,24,25,41, 42, 44, 45
14	पीएसबीओएसआर/स्टाफ//2017-A	11.10.2017	21.12.2017	3,4,5,21,22,23,24,25, 36, 41, 42, 44, 45
15	पीएसबीओएसआर/स्टाफ//2018	12.03.2018	05.09.2018	6(2)

PUNJAB AND SIND BANK NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2021

F.No. PSB/STAFF/OSR/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the Punjab and Sind Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab and Sind Bank (Officers') Service Regulations, 1982, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Punjab and Sind Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2021.

- (2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2012.
- 2. In the Punjab and Sind Bank (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulations 3, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-
 - '(g) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer and in the case of a married female officer may include her natural parents or parents-in-law, but not both.

Explanation.- "wholly dependent" shall mean such member of the family having an income not exceeding Rs.10,000 per month and where the wholly dependent family members are parents, the income of any parent or the aggregate income of both the parents if exceeds Rs.10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'

- 3. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-
 - "(6) With effect from the 1st day of November, 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under:
 - (a) Top Executive Grade

```
Scale VII = Rs.76520 - 2120/4 - 85000
Scale VI = Rs.68680 - 1960/4 - 76520
```

(b) Senior Management Grade

```
Scale V = Rs.59170 - 1650/2 - 62470 - 1800/2 - 66070
Scale IV = Rs.50030 - 1460/4 - 55870 - 1650/2 - 59170
```

(c) Middle Management Grade

```
Scale III = Rs.42020 - 1310/5 - 48570 - 1460/2 - 51490
Scale II = Rs.31705 - 1145/1 - 32850 - 1310/10 - 45950
```

(d) Junior Management Grade

```
Scale I = Rs.23700 - 980/7 - 30560 - 1145/2 - 32850 - 1310/7 - 42020
```

Explanation.- Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2012 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2012 on stage-to-stage basis, or the corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

- (7) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.
- (8) With effect from 1st day of November, 2012, officers shall be paid Special Allowance as under:

Scale I-III = 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V = 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI- VII = 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Provided that nothing in this sub-regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times officers serving in this grade.

Note: The special allowance referred to in sub-regulation (8) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.".

- 4. In Regulation 5 of the said regulations,-
 - (i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely:-

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching the maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs.1310 each and next two Rs.1460 each;
- (d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs.1460 two years after receipt of third stagnation increment;

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from 01st May, 2015;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III (those recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs.1460 to officers who have completed two years or more after releasing third stagnation increment as on 01st May, 2015 and a fifth stagnation increment of Rs. 1460 two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the officers who have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 01st May, 2015;
- (f) officers in Senior Management Grade Scale-IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs.1650 three years after reaching the maximum of scale with effect from 01 st May, 2015:

Provided that such increment shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.";

- (ii) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(g) On and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:

TABLE

(1)	(2)			
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers- Part I	1 ,			
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.670 per month, one year after reaching maximum of the scale.			
	(ii) Rs.1680 per month, two years after reaching maximum of the scale;			

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.";

(iii) in sub-regulation (3), after the table under clause (e), the following shall be inserted, namely:-

"(f)on and from the 1st November, 2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2012 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the table in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with Bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5) and (6) of regulation 4 is earned.
- (iii) Only officers who were in the service of the bank on or before 01st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of the pay they are placed.
- (iii) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from that date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) of this sub-regulation shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale."
- 5. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
 - "(6) On and from the 1st day of November, 2012, Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of Pay.

Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, -

- (a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e),

- (f) and (g) to the explanation in sub-regulation (2) of Regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.".
- 6. In regulation 22 of the said regulations,-
 - (i) for sub-regulations (1) and (2), the following sub regulation shall be substituted, namely:-
 - "(1) on and from the 1st day of November, 2012,-
 - (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
 - (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:-

TABLE

Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
(iii) Other places	7.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above table.

NOTE:- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of the House Rent Allowance as hitherto.".

- 7. In regulation 23 of the said regulations,-
 - (A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
 - "(1) On and from 1st day of November, 2012, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable:-

TABLE

Places	Rate		
(1)	(2)		
(i) Places in Area 1 and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.870 per month		
(ii) Places with population of five lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.600 per month"		

- (2) On and from the 1st day of November, 2012, the rates of Special Areas Allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400 per month or Rs.350 per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.
- (4) On and from the 1st day of June 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.1100 per month from the

- date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1st day of June 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.2000 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.2000 per month.";

- (B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(8) On and from 1st day of November, 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.";
- (C) in sub-regulation (10),-
 - (a) for the figures, letters and words "1st day of November 2007", the figures, letters and words "1st day of November, 2012" shall be substituted;
 - (b) for the table, the following table shall be substituted, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.750 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1000 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.2000 per month"

- 8. In regulation 24 of the said regulations,-
 - (i) in sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(1)" On and from the 1st day of November 2012, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of Reimbursement
(1)	(2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.8000 per annum or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.9050 per annum or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be

enhanced proportionately for two months, that is, November 2012 and December, 2012.

- (1A) An officer shall be eligible for medical insurance facility for self and his family, as per the terms and conditions specified by the Board.".
- 9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2012, a sum equal to 0.75 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.15 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

- 10. In regulation 33 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
 - "(4) On and from 1st day of June, 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to maximum of two hundred and forty days:

Provided further that an officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than fifteen days' notice of his intention to avail of such leave.".

- 11. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
 - "(4) On and from the 1st June, 2015, Special Sick Leave up to thirty days may be granted to an officer once during his entire period of service for donation of kidney or organ.".
- 12. In regulation 36 of the said regulations for sub-regulations (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
 - "(2) With effect from the 25th May 2015, leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions:-
 - (i) leave will be granted for adoption of only one child
 - (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the officer employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
 - (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
 - (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period service.
 - (3) With effect from the 25th May, 2015, within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hysterectomy up to a maximum of sixty days
 - (4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or Medical Termination of Pregnancy

(5) With effect from 1st June 2015, male officer employees having up to two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave shall be applied up to fifteen days before or up to six months from the date of delivery of the child.".

- 13. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-
 - "(38) Lapse of Leave.- Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation,

retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he had accumulated:

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he had accumulated:

Provided also that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding two hundred and forty days of privilege leave to his credit as on the date of his death:

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1st April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20 he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of one hundred and twenty days."

14. In regulation 41 of the said regulations,-

- (i) For sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(1) On and from 1st day of November 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:-
 - (a) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 Kilometres;

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies to the business or public interest;

- (c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class);
- (d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 Kilometres:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

- (e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;
- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.";
- (ii) In sub-regulation (4), for clauses (a), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(a) On and from the 1st June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below shall be entitled to per diem Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

Grades/Scales of officers	Metro (Rs.)	Major 'A' Class cities (Rs.)	Area I (Rs.)	Other places (Rs.)
(1)	(2)			
Officers in Scale VI and above	1800	1300	1100	950
Officers in Scale IV and V	1500	1300	1100	950

Officers in Scale I/II/III	1300	1100	950	800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purposes of computing Halting allowance, "per diem" shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours."

- 15. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(3) On and from the 1st day of June 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade or Scale	Amount
(1)	(2)
Top Executive and Senior Management Grade	Rs.20000
(Officers in Scale IV and above)	
Middle Management and Junior Management Grade	Rs.15000
(Officers up to Scale III)	

- 16. In regulation 44 of the said regulations, for sub-regulation (1), (2), (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route:

Provided further that with effect from 1st June, 2015, alternatively, an officer, by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4500 Kilometres (one way) for the officers in JMG-Scale-I and MMG-Scale II and III and 5500 Kilometres (one way) for officers in SMG- Scale IV and above:

Provided also that with effect from 1st June 2015, an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Fare Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from 1st May, 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management

Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 Kilometres.".

17. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely-

"SCHEDULE

[See sub-regulation 23(2)]

With effect from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the table below, namely:-

TABLE

Sr. no.	Area	Allowances (Rs.)		
		Pay below Rs.24,000/-	Pay above Rs.24,000/-	
1	2	3	4	
1.	Mizoram (a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District	2000	2600	
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. fromLunglei town.	1600	2100	
	(c) Entire Aizawl District	1200	1500	
2.	Nagaland	1600	2100	
3.	Andaman and Nicobar Islands (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600	
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100	
4.	Sikkim	2000	2600	
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600	
6.	Assam	320	400	
7.	Meghalaya	320	400	
8.	Tripura			
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100	
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500	

9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh	2000	2600
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2000
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(a) Kathua District:		
	NiabatBani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		
	(i)DuduBasantgarh, Lander BhamagIllaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas uptoGoel from Kamban Side and areas uptoArnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District:		
	Illaquas of Padder and NiabatNowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District:	2000	2600
	All places in the District		
	(e) Barmulla District	2000	2600
	(i)Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaaqua		
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District:	1200	1500
	Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.		
	(g) Areas not included in (a) to (f) above, but which are within distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time to time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District	2000	2600
	(a) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram PanchayatJagat, Kanarsi of Gram PanchayatChauhata		
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (a) above.	1600	2100

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

(c) Jhandrupanchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
(2) Kinnaur District:		
(a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/CharangPanchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.		2600
(b) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
(3) Kullu District:	2000	2600
(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga		
(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand.		1500
(4) Lahaul and Spiti District:	2000	2600
Entire area of Lahaul and Spiti		
(5) Shimla District:	2000	2600
(a) 15/20 Area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.		
(b) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, GhoriChaibis of ParganaSarahan.	_	2100
(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of ParganaSarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, ParganaBarabis, Kasba Rampur and GhoriNog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).		1500
(6) Kangra District:		
(a) Areas of Bara Bhangal and ChhotaBhangal	1600	2100
(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project,	1200	1500

	Shamnagar.		
	Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. KrishiVishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar		
	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(8) Sirmaur District:		
	Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri tract	1200	1500
	(9) Solan District :		
	MangalPanchayat.	1200	1500
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	320	400
13.	Uttar Pradesh:		
	Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts	2000	2600
14.	Uttarakhand		
	Areas under Chamoli, Pithoragarh, Utarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600

EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefits to the officers of the Punjab and Sind Bank and are essentially beneficial legislation. Hence, giving retrospective effect to the said provisions of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospective application.

KANWAR LAL, Dy. General Manager (HRD)

[ADVT.-III/4/Exty./536/2021-22]

Note: The amendment regulations were published in the Gazette of India, Part-III, Section 4, and were subsequently amended *vide* the following notifications namely:-

S. NO.	NOTIFICATION NO.	DATED	PUBLICATION DATE	AMENDMENT REGULATION NO.	IN
1	No.PSB/STAFF/OSR/1990	18.04.1990		2	

2	No.PSB/STAFF/OSR/1991	03.05.1991	08.05.1991	21, 22, 24, 33, 41
3	No. PSB/STAFF/OSR/1992	19.05.1992	21.05.1992	23, 41, 44
4	No. PSB/STAFF/OSR/1995	15.02.1995	21.02.1995	19
5	No.PSB/STAFF/OSR/1996	08.10.1996	09.10.1996	4,5,21,22,23,24, 25,41,45,46
6	No.PSB/STAFF/OSR/1997	13.01.1997	27.01.1997	19
7	No.PSB/STAFF/OSR/1999	23.06.1999	24.07.1999	38
8	No.PSB/STAFF/OSR/2000	28.06.2000	07.07.2000	19
9	No.PSB/STAFF/OSR/2000	20.07.2000	12.08.2000	12,23,32,42
10	No.PSB/STAFF/OSR/2002	28.10.2002	06.11.2002	4,5,21,22,23,24,25,35, 36,41,42,46
11	No.PSB/STAFF/OSR/2003	13.06.2003	28.06.2003	38
12	No.PSB/STAFF/OSR/2006	7.10.2006	20.10.2006	5
13	No.PSB/STAFF/OSR/2017	11.10.2017	21.12.2017	3,4,5,21,22,23,24,25,41, 42, 44, 45
14	No.PSB/STAFF/OSR/2017-A	11.10.2017	21.12.2017	3,4,5,21,22,23,24,25, 36, 41, 42, 44, 45
15	No.PSB/STAFF/OSR/2018	12.03.2018	05.09.2018	6(2)